राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4600/2022

राजेश कुमार मेहरा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी द्वारा संशोधित अपील प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार कर रिकार्ड पर लिया गया।
2. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी व्याख्याता स्कूल शिक्षा राजनैतिक विज्ञान के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाढिया सुनेल, झालावाड़ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहर थाना, झालावाड़ में किया गया है।
4. उनका तर्क है कि अपीलार्थी के पास एनसीसी का 'ए' प्रमाण पत्र है एवं अपीलार्थी को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
5. उनका तर्क है कि राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का स्थानान्तरण करने से पूर्व तीन विकल्प मांगे जाने का प्रावधान है, परन्तु बिना विकल्प मांगे ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है। अतः उक्त परिस्थितियों के

दृष्टिगत अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।

6. हमनें विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।
7. अपीलार्थी ने जो प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत किये है वह जिला कलक्टर एवं अन्य के द्वारा दिये गये प्रशस्ति पत्र है। ऐसा कोई तथ्य अपीलार्थी प्रथम दृष्टया प्रस्तुत नहीं कर सका है कि अपीलार्थी को राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुआ हो। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के दुर्भावना या विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। इस कारण आलोच्य आदेश में अधिकरण के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राहयता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)